



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1947 (श10)
(सं० पटना 1790) पटना, बुधवार, 17 दिसम्बर 2025

सं० ना०सु०निदे०-36/2025/4354—आ०प्र०
आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

15 दिसम्बर 2025

विषय:—राज्य के गया जी एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने तथा उनमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाईयों के लिए कुल 14 (चौदह) पदों के सृजन के संबंध में।

राज्य में कुल 04 (चार) जिला यथा—पटना, बेगूसराय, पूर्णियाँ एवं कटिहार को राज्य सरकार के साथ-साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा जिला के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पुनः 24 नये बहुआपदा प्रवण जिला यथा— अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, नालंदा, बक्सर एवं भोजपुर को नागरिक सुरक्षा जिला इकाई के रूप में घोषित किया गया है।

2. नागरिक सुरक्षा संगठन के लिए वर्तमान क्रियाशील 04 (चार) जिलों एवं नवसृजित 24 अन्य जिलों के अतिरिक्त बिहार में गया जी एवं मुंगेर को भी नागरिक सुरक्षा जिला के रूप में कर्णांकित करने हेतु निम्नांकित पर्याप्त कारण उपलब्ध हैं:—

(क) गया जी:— यह जिला प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के साथ सामरिक एवं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।

प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सूखा, भूकम्प, चक्रवात, आगजनी आदि शामिल है। गया जी शहर बिना वृक्ष के पहाड़ियों से घिरा होने के कारण गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान सामान्य से काफी अधिक रहता है, जिसके कारण यहाँ लू का प्रभाव अधिक रहता है, वही दूसरी तरफ सर्दी के दिनों में यहाँ का तापमान औसत तापमान से काफी कम हो जाने के कारण यहाँ शीतलहर का प्रभाव भी काफी अधिक रहता है। बरसात के मौसम में फल्गू नदी में अकस्मात पानी का बहाव अधिक होने के कारण बाढ़ की भी संभावना प्रायः बनी रहती है। यह जिला भूकम्प हेतु सेसमिक जोन III में है। गया जी शहर भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली है, इस जिला में पूरे वर्ष कोई न कोई समारोह/मेला भव्य रूप से आयोजित होता रहता है, जैसे—पितृपक्ष मेला, बौद्ध महोत्सव आदि। यहाँ साल भर देशी एवं विदेशी अतिथियों का आवागमन बना रहता है। यही कारण है कि यहाँ अवस्थित विमान पत्तन से अंतर्राष्ट्रीय विमानों का आवागमन भी होता है। शत्रु हमले की स्थिति में उक्त विमान पत्तन के कब्जे और दुरुपयोग की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता।

गया जी शहर में थल सेना का प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है, जहाँ सैनिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। अतः इसको सामरिक दृष्टिकोण से निशाना बनाया जा सकता है।

(ख) **मुंगेर**— मुंगेर जिला के कुल 09 प्रखण्डों में से 06 प्रखण्ड बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसके अतिरिक्त यह जिला पूर्व में नक्सल से भी प्रभावित रहा है। मुंगेर जिला में कई प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान यथा—जमालपुर रेल इंजन कारखाना, ब्रिटिश गन फैक्ट्री, आईटीसी मिल्क डेयरी एवं कई अन्य आईटीसी फैक्ट्री स्थापित है। युद्ध की स्थिति में इन औद्योगिक संस्थानों को लक्षित कर देश का नुकसान पहुँचाया जा सकता है, अर्थात् सामरिक दृष्टिकोण से भी यह संवेदनशील जिला है।

3. भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दोनों जिला की स्थिति निम्नवत है:—

क्रमांक	जिला/नगर का नाम	नागरिक सुरक्षा जिला के रूप में घोषित करने हेतु कारण	कैटेगरी
1.	गया जी	भूकम्प, चक्रवात	II
2.	मुंगेर	भूकम्प, बाढ़, चक्रवात	III

इसी को ध्यान में रखकर गया उक्त दोनों जिलों को नागरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से कर्णांकित किया जाना आवश्यक है।

4. गया जी एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करते हुए उनमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाईयों के लिए निम्नानुसार पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र०	पद	प्रति जिला आवश्यक पद	दोनों जिला में सृजित कुल पदों की संख्या	दोनों जिला में अनुमानित कुल वार्षिक व्यय
1.	उप नियंत्रक	1	2	22,38,360/-
2.	नागरिक सुरक्षा अनुदेशक	4	8	57,93,120/-
3.	निम्नवर्गीय लिपिक	2	4	16,68,720/-
कुल		7	14	97,00,200/-

5. उक्त पदों के सृजन के उपरान्त आवर्तक वार्षिक व्यय— 97,00,200/ (सन्तानवें लाख दो सौ रुपये) अनुमानित है। उक्त व्यय मुख्य शीर्ष 2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष 106—सिविल रक्षा, मांग संख्या—39 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। प्रस्तावित पदों पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, कालान्तर में भारत सरकार द्वारा उक्त जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला अधिसूचित किये जाने पर 25 प्रतिशत केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारियों तथा संबंधित विभागों को दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० चन्द्रशेखर सिंह,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1790-571+100-डी०टी०पी०

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>